

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर

क्रमांक :- ई-18/एम/एसीपी- /2017/

दिनांक :

आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.11 (7)वित्त/नियम/2008 दिनांक 12.09.2008 एवं संशोधित आदेश क्रमांक एफ.14 (88)वित्त (नियम)/2008-1 दिनांक 31.12.2009 एवं दिनांक 05.07.2013 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित कर्मचारियों को निम्न प्रकार सेवा अवधि पूर्ण किये जाने पर एसीपी स्वीकृत की जाती है।

क्र. स.	नाम कर्मचारी मय पदस्थापन स्थान	प्र0नि0 तिथि	पूर्ण सेवावधि	एसीपी स्वीकृति तिथि	स्वीकृत एसीपी	
					पे बैण्ड	ग्रेड पे
1.	श्री राजेन्द्र कुमार भगोरा, वरिष्ठ सहायक, डूंगरपुर।	28.08.1999	18 वर्ष	28.08.2017	9300-34800	3600
2.	श्री अप्पित्त मैसी, कनिष्ठ सहायक, अजमेर।	05.07.2008	09 वर्ष	05.07.2017	5200-20200	2800
3.	श्री नरेन्द्र कुमार, कनिष्ठ सहायक, झुन्झुनू।	15.02.1999	18 वर्ष	15.02.2017	9300-34800	3600
4.	श्रीमति ओमवती जिंदल, कनिष्ठ सहायक, धौलपुर।	22.03.1999	18 वर्ष	22.03.2017	9300-34800	3600
5.	श्री राजेन्द्र सिंह सोलंकी, वरिष्ठ सहायक, जोधपुर।	09.03.1990	27 वर्ष	09.03.2017	9300-34800	4200
6.	श्री विजय कुमार, कनिष्ठ सहायक, जयपुर।	01.09.1999	18 वर्ष	01.09.2017	9300-34800	3600
7.	श्री शिवजी लाल जाट, वरिष्ठ सहायक, टोंक।	04.08.1989	27 वर्ष	04.08.2016	9300-34800	4200

उपरोक्त कर्मचारियों का वेतन निर्धारण एसीपी स्वीकृति के फलस्वरूप संबन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा नियमानुसार किया जावेगा।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

राज0 जयपुर

दिनांक : 01/12/17

क्रमांक :- ई-18/एम/एसीपी-~~11~~/2017/2572

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय समूह, जोधपुर।
2. अधीक्षक, जनाना अस्पताल, जयपुर।
3. अधीक्षक, राजकीय महिला चिकित्सालय, अजमेर।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डूंगरपुर/अजमेर/झुन्झुनू/धौलपुर/जोधपुर/टोंक।
5. जिला क्षय रोग अधिकारी, क्षय निवारण केन्द्र, टोंक।
6. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चिडावा, झुन्झुनू/बाडी, धौलपुर।
7. संबंधित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।

प्रभारी सचिव को मुख्यालय को भेजकर देना है कि उक्त आदेश को दिनांकीय वेबसाइट पर अपलोड करने का कार्य करें।

आदेश/निर्देश प्रभावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें